

आदेश की क्र० सं०  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

पश्चात्तत्वात् आवेदन के आवेदन के आलोचक में प्रारम्भ किया गया।

प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा - डोरिया, धाना - बागोदर में स्थित खाना - 3, एलाइ - 785, रकबा - 10 2/3 बी. 3 1/2

केवाला सं० - 10222 दिनांक 4/10/2002 के माध्यम से हासिल है। केवाला प्राप्ति के परधान नामान्तरण के

परधान उनके नाम से सरकारी मजान रसीद निर्गत होता आ रहा है। द्वितीय पक्ष उनके हक को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में विद्यमान पक्ष की धाया प्रति एवं मजान रसीद को धाया प्रति हासिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण दृष्ट्या हासिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रथम पक्ष मजान के कथ के परधान कमी भी हकदार नहीं हुये हैं तथा विद्यमान हासिल करने के 22 वर्षों के परधान उक्त जमीन पर दावा कर रहे हैं। प्रथम पक्ष ने जिस जमीन का उक्त

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>           किया है, उन के विरुद्ध पत्र            में कारवाई की गई का जिक्र            नहीं किया गया है। साथ            ही केनामा को चौकसी के            अनुसार की जमीन ले            उनका कोई सहकार नहीं            है।         </p> <p>           उमय पत्र के द्वारा            दारिद्र्य कारण पृच्छा एवं            एन।वि.ए. के अवलोकन से            स्पष्ट है कि उमय पत्र            के बीच जमीन के दलाल-            कब्जा को लेकर विवाद            है तथा एक ही भूमि पर            दावा कर रहे हैं। अतः लोक            परिशांति को कायम रखने            हेतु प्रशासन वार्ड को द. उ. स.            की धारा-145 के अंतर्गत            परिवर्तित किया जाना है।            नदु हार नौरिस निर्माण को            अनिर्धार्य दिनांक - 31/10/23            को रखें।         </p> <p style="text-align: right;">           5/09/23            S.M.         </p>	